सोशल आडिट

मार्गदर्शिका

(Guidelines)

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

2017-18

सोशल आडिट निदेशालय, उ0प्र0

लखनऊ-226 001

एवं

दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, उ0प्र0

जनसहभागिता, पारदर्शिता एवं जवाबदेही केन्द्र

लखनऊ -226 202

संरक्षण

अनुराग श्रीवास्तव
आई.ए.एस.
महानिदेशक

मार्गनिर्देशन

राजवर्धन
प्र. निदेशक

संकलन एवं सम्पादन

उमेश मणि त्रिपाठी
पी.डी.एस.
उपायुक्त
सोशल आडिट

डा. ओ.पी. पाण्डेय
केन्द्र निदेशक

डा. राज किशोर
प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी

प्रथम संस्करण – दिसम्बर 2017

© एस.आई.आर.डी.यू.पी. एवं सो.आ.नि.यू.पी.

सोशल आडिट
मार्गदर्शिका

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)
वर्ष 2017–18

सोशल आडिट निदेशालय, उ0प्र0

7वां तल, पी0सी0एफ0 भवन, 32 स्टेशन रोड, लखनऊ– 226001
Phone:- 0522-2630877,2630878, Fax:-0522-4003787
E-mail: socialauditup@yahoo.in
Website: www.socialauditup.in

एवं

दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, उ0प्र0

जनसहभागिता, पारदर्शिता एवं जवाबदेही केन्द्र
इन्दौराबाग, बख्शी का तालाब, लखनऊ – 226202
दूरभाषः 05212–298291, 298292 फैक्स – 05212–298209
E-mail: sirdup2005@rediffmail.com
Website: www.sirdup.in

अनुराग श्रीवास्तव
प्रमुख सचिव,

ग्राम्य विकास विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ।

संदेश

ग्राम पंचायतों में भारत सरकार की विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं, यथा– महात्मा गांधी नरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), इत्यादि के पारदर्शिता, जनसहभागिता एवं जवाबदेही के साथ सम्पन्न होना सुनिश्चित करने में सोशल आडिट एक अत्यन्त महत्वपूर्ण टूल सिद्ध हुआ है। प्रदेश में सोशल आडिट को भारत सरकार की अपेक्षानुसार संचालित किए जाने हेतु अगस्त, 2012 में उत्तर प्रदेश सोशल आडिट संगठन तथा उसके अधीन उत्तर प्रदेश सोशल आडिट निदेशालय की स्थापना एक स्वतंत्र इकाई के रूप में की गई। इसकी उपयोगिता और महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा अन्य विभागों यथा पंचायतीराज, बेसिक शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, पिछड़ा वर्ग कल्याण, समाज कल्याण, सिंचाई, लघु सिंचाई आदि का सोशल आडिट कराने का निर्णय लिया गया है। जिसके क्रम में पंचायतीराज विभाग का भी सोशल आडिट इस वर्ष से प्रारम्भ किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में हमारा लक्ष्य सोशल आडिट की गुणवत्ता में अधिकाधिक अभिवृद्धि करना है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि टीमों को सम्यक गहन प्रशिक्षण दिया जाए, उन्हें तथा सभी स्टेक होल्डर्स को सोशल आडिट के महत्व के प्रति जागरूक बनाया जाए तथा सोशल आडिट करने के सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु समुचित साहित्य का विकास किया जाए। यह पुस्तिका इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

इस पुस्तिका को वर्तमान स्वरूप देने में दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ के डा0 ओ0पी0 पाण्डेय–संयुक्त निदेशक, एवं डॉ0 राज किशोर–प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी तथा सोशल आडिट निदेशालय, उ0प्र0 के श्री राजवर्धन–अपर निदेशक, श्री उदयराज यादव–संयुक्त आयुक्त एवं श्री उमेश मणि त्रिपाठी–उपायुक्त, का विशिष्ट सहयोग प्राप्त हुआ है। पुस्तिका के सृजन में श्री जुहैर बिन सगीर, निदेशक, सोशल आडिट का भी मार्गदर्शन रहा है। इस पुस्तिका को वर्तमान रूप में प्रकाशित करने के अवसर पर सभी विद्वतजनों एवं सहयोगियों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।

आशा है कि सोशल आडिट मार्गदर्शिका प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) 2017–18 सोशल आडिट के सभी स्टेकहोल्डर्स तथा सोशल आडिट टीम सदस्यों के प्रशिक्षण के लिए ज्ञानवर्धक एवं उपयोगी सिद्ध होगा।

(अनुराग श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव

निदेशक की कलम से...

ग्राम पंचायतों में भारत सरकार की विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं, का जनसहभागिता एवं जवाबदेही के साथ सम्पन्न होना सुनिश्चित करने में सोशल आडिट एक अत्यन्त महत्वपूर्ण टूल सिद्ध हुआ है। इस योजना का क्रियान्वयन पारदर्शिता, जनसहभागिता एवं जवाबदेही के साथ संपन्न करना योजना से संबंधित सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का परम दायित्व है। इस दिशा में सोशल आडिट की महत्वपूर्ण भूमिका है।

हमारा लक्ष्य है कि वित्तीय वर्ष 2017–18 में सोशल आडिट को पहले से भी अधिक गुणवत्तापूर्ण एवं सार्थक बनाने की दिशा में काम किया जाए। जनपद तथा विकास खण्ड के संबंधित अधिकारियों एवं सोशल आडिट टीमों के प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) और सोशल आडिट के संबंध में अधिक से अधिक जानकारी होना सोशल आडिट के सार्थक एवं गुणवत्तापूर्ण होने की गारण्टी है। इसी दृष्टीकोंण से यह सोशल आडिट मार्गदर्शिका प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) तैयार की गई है। यह पुस्तिका जनपद के सभी संबंधित अधिकारियों से लेकर सोशल आडिट टीम के सदस्यों के लिए उपादेय होगी। अतः उनके द्वारा इसका अध्ययन–मनन अवश्य किया जाना चाहिए।

इस मार्गदर्शिका को अद्यतन रूप देने में श्री उमेश मणि त्रिपाठी, उपायुक्त सोशल आडिट का बहुमूल्य योगदान रहा है। इसे तैयार करने में निदेशालय के कर्मचारियों ने पूर्ण सहयोग दिया है। दीन दयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान (SIRD), बक्शी का तालाब ने पुस्तिका के तैयार करने में महत्वपूर्ण सुझााव दिए हैं। संस्थान के डॉ0 ओ0पी0 पाण्डेय, अपर निदेशक, डॉ0 राज किशोर, प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी को हृदय से आभार। अंत में मैं संस्थान के महानिदेशक एवं प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास श्री अनुराग श्रीवास्तव जी को विशेष रूप से धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करना चाहूंगा जिनके मार्गदर्शन में पुस्तिका का प्रकाशन सम्भव हो सका है।

मार्गदर्शिका को बेहतर बनाने के लिए आपके विद्वत सुझावों का स्वागत है।

दिनांक : 16 फरवरी, 2018

(राजवर्धन)
प्र. निदेशक
सोशल आडिट निदेशालय, उ0प्र0

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

अनुक्रमणिका

क्रमांक	विषय	पृष्ठ
1.	**प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)**	1
1.1	भूमिका	1
1.2	प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की मुख्य विशेषतयें	1-2
1.3	लाभार्थियों का चयन एवं निर्धारण	2-5
1.4	आवास का निर्माण	5
1.5	लाभार्थियों को स्वीकृत पत्र जारी करना	5-6
1.6	लाभार्थी को पहली किस्त की रिलीज	6
1.7	निर्माण का तरीका	6
1.8	तालमेल (कन्वर्जेन्स)	7
1.9	शिकायत का निस्तारण	7
1.10	बहिर्वेशन (अपात्र किये जाने) प्रक्रिया	8
1.11	स्वतः अन्तर्वेशन (पात्रता) के लिए मानदण्ड	8
1.12	खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सोशल आडिट हेतु सूचना उपलब्ध कराए जाने वाले बिन्दु	9
2.	**प्रधानमंत्री आवास योजना का सोशल आडिट : परीक्षण के बिन्दु/ड्राफ्ट प्रतिवेदन**	10
2.1	सामान्य सूचना	10
2.2	सोशल आडिट टीम द्वारा परीक्षणीय बिन्दु	11-14
3.	**प्रधानमंत्री आवास योजना का सोशल आडिट–ग्राम सभा की बैठक के कार्यवृत्त का नमूना**	15-20
4.	**प्रधान आवास योजना सोशल आडिट का निष्कर्ष एवं संस्तुतियां**	21-22

अध्याय–1
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

1. भूमिका

स्वतंत्रता के तुरन्त बाद शरणार्थियों के पुनर्वास के साथ देश में सार्वजनिक आवास कार्यक्रम की शुरूआत की गई और तब से अब तक गरीबी उन्मूलन के दिशा में आवास सरकार का प्रमुख फोकस क्षेत्र रहा है। वर्ष 2014 में सीएजी के मूल्यांकन रिपोर्ट के बाद आवास योजना को पुनर्गठित करते हुए भारत सरकार ने 01.04.2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण (पीएमएवाई–जी) को लागू किया।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत सब के लिए घर के उद्देश्य का लक्ष्य को पूरा करने के लिए सभी वेघर परिवारों और कच्चे तथा जीर्ण–शीर्ण मकानों में रह रहे परिवारों को 2022 तक बुनियादी सुविधायुक्त पक्का आवास उपलब्ध कराना है।

2. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की मुख्य विशेषताएं

क. आवास के लिए 25 वर्गमीटर जगह निर्धारित किया गया है, जिसमें स्वच्छ रसोई क्षेत्र शामिल है।

ख. मैदानी क्षेत्रों में रु0 1.20 लाख एवं नक्सल प्रभावित जिलों (मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली) में रु0 1.30 लाख दिए जाने का प्राविधान है।

ग. स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण के साथ शौचालयों के निर्माण के लिए रु0 12,000/– की सहायता की व्यवस्था है।

घ. आवास के निर्माण के लिए मनरेगा के अन्तर्गत 90 दिनों की अकुशल मजदूरी के भुगतान का प्राविधान है।

ड. ग्राम सभा द्वारा लाभार्थियों का निर्धारण और चयन एसईसीसी, 2011 में दर्शाए गए आवास विहीन परिवारों एवं अन्य सामाजिक अपवर्जन मानदण्डों के आधार पर किया जाएगा।

च. यदि लाभार्थी चाहे तो उन्हें वित्तीय संस्थाओं से रु0 70,000/– तक की ऋण सुविधा उपलब्ध कराने में मदद की जाएगी।

दृ बुनियादी सुविधाओं जैसे शौचालय, पेयजल, बिजली, स्वच्छ एवं पर्याप्त ईंधन, ठोस और

तरल अपशिष्ट का शोधन इत्यादि के लिए अन्य सरकारी योजनाओं के साथ तालमेल कर लाभार्थी को सहायता दी जाएगी।

ज. लाभार्थियों के बैंक खातों में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सभी तरह का भुगतान किया जाएगा। यदि लाभार्थी सहमत हो तो उसके आधार कार्ड संख्या को खाते से जोड़ा जा सकता है या पूर्व में आधार कार्ड संख्या से जुड़े खाते के माध्यम से भुगतान किया जा सकता है।

3. लाभार्थियों का चयन और निर्धारण

3.1 लाभार्थियों के चयन और निर्धारण में निष्पक्षता एवं पारदर्शिता होना नितांत आवश्यक है। तभी सभी के लिए आवास के लक्ष्य की सही ढंग से पूर्ति की जा सकती है।

3.2 प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों की सूची एसईसीसी 2011 के आकड़ों के अनुसार सभी बेघर परिवार और अनुबन्ध–1 में निर्धारित गयी प्रक्रिया के अधीन एक या दो कमरों के कच्ची दीवार और/कच्ची छ्त युक्त मकानों में रहने वाले परिवार शामिल होंगे।

3.3 प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के पात्र लाभार्थियों का सबसे पहले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और अन्य जैसी श्रेणी में आवास अभाव दर्शाने वाले मानकों के आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी। बेघर परिवारों और उनके बाद कमरों की संख्या शून्य, एक और दो कमरों के आधार पर परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, विशिष्ट सामाजिक श्रेणी में बेघर परिवार या अपेक्षाकृत कम कमरों वाले मकानों में रहने वाले परिवारों को उनसे अधिक कमरें वाले मकानों में रहने वाले पश्रिवारों से कम प्राथमिकता नहीं दी जा सकेगी।

3.4 उपर्युक्त प्राथमिकता प्राप्त समूहों में एसईसीसी 2011 में यथापरिभाशित (अनुबंध–1 में दर्शाए गए मानदण्ड) अनिवार्य शामिल किए जाने के मानदण्डों की पूर्ति करने वाले परिवारों को प्राथमिकता के क्रम में आगे बढ़ाया जाएगा। स्वतः समावेशित परिवारों को प्राथमिकता प्राप्त समूह में शामिल अन्य परिवारों से कम प्राथमिकता नही दी जाएगी। स्वतः समावेशित या अन्य स्थिति में दो उप–समूहों अर्थात परिवारों के बीच प्राथमिकता का निर्धारण उनके सकल संचयी हानि संबंधी अंकों के आधार पर किया जाएगा। इन अंकों की गणना आगे दर्शाए गए सामाजिक–आर्थिक मानकों के आधार पर की जाएगी। इनमें से प्रत्येक मानक को समान वेटेज

दी जाएगी:–

क. ऐसे परिवार, जिनमें 16 से 59 वर्ष की आयु का कोई वयस्क सदस्य न हो।

ख. महिला मुखियाओं वाले ऐसे परिवारों, जिनमें 16 से 59 वर्ष की आयु का कोई वयस्क सदस्य न हो।

ग. ऐसे परिवार जिनमें 25 वर्ष से अधिक आयु का कोई साक्षर वयस्क सदस्य न हो।

घ. ऐसे परिवार जिनमें कोई सदस्य निशक्त जन हो या जिनका कोई भी वयस्क सदस्य शारीरिक रूप से सक्षम न हो।

ड. अपनी अधिकांश आय का अर्जन दिहाड़ी मजदूरी से करने वाले भूमिहीन परिवार।

3.5 उपर्युक्त रूप से प्रकाशित किए जाने के बाद ग्राम सभा द्वारा बैठक आयोजित की जाएगी और सूची की पुष्टि होने के बाद इसे विकास खण्ड स्तर पर भेजा जाएगा। यदि सूची में नाम गलत सूचना के आधार पर अंकित किया गया है या यदि सर्वेक्षण के बाद परिवार ने पक्के आवास का निर्माण कर लिया है या परिवार को किसी सरकारी योजना के अधीन आवास/मकान आवंटित कर दिया गया है या परिवार किसी अन्य स्थान पर जाकर स्थायी रूप से बस गया है या बिना किसी उत्तराधिकारी के उसकी मृत्यु हो गई, तो ग्राम सभा ऐसे परिवारों के नाम सिस्टम द्वारा तैयार की गई प्राथमिकता सूची से हटा देगी। सूची से हटाए गए परिवारों की सूची और उन परिवारों को हटाए जाने का कारण ग्राम सभा के कार्यवृत्त में शामिल किया जाएगा।

3.6 यदि किसी उप–समूह में एक से अधिक परिवारों के अपवर्जन संबंधी अंक बराबर हों तो ग्राम सभा आगे दर्शाए गए मानकों के आधार पर उनकी प्राथमिकता का क्रम निर्धारित करेगी:–

क. सशस्त्र कार्रवाई में मारे गए रक्षा/अर्ध–सैनिक/पुलिस बलों के सैनिको की विधवाओं और निकट संबंधियों के परिवार।

ख. ऐसे परिवार, जिनका कोई सदस्य कुष्ठ या कैंसर से पीड़ित हो या जिन्हें एच.आई.वी. (पी.एल.एच.आई.वी.) संक्रमण हो गया हो।

ग. इकलौती बेटी वाले परिवार।

घ. सामान्यतः वन अधिकार अधिनियम के नाम से ज्ञात अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के लाभार्थी परिवार।

कृ किन्नर।

3.7 पात्र होते हुए भी सिस्टम द्वारा तैयार की गई प्राथमिकता सूची में शामिल न किए गए परिवारों के विषय में ग्राम सभा की बैठक में नाम आने पर उनकी एक अलग सूची बनाई जाएगी। ग्राम सभा द्वारा ऐसी तैयार की गई सूची में उन परिवारों को भी शामिल किया जा सकता है जिनकी एसईसीसी, 2011 सर्वे के दौरान गणना नहीं की गई थी या वे परिवार एसईसीसी में गणना किए जाने के बावजूद उन्हे सिस्टम द्वारा तैयार की गई प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं किया गया है किन्तु वे सहायता पाने के लिए पात्र पाए गए थे।

3.8 ग्राम सभा द्वारा तैयार की गई निम्नलिखित सूचियां खण्ड विकास अधिकारी को आगे की कार्रवाई के लिए भेजी जाएंगी।

क. ग्राम सभा द्वारा प्राथमिकता प्राप्त पात्र परिवारों की सूची।

ख. प्राथमिकता सूची से हटाए गए परिवारों की सूची।

ग. सहायता पाने का पात्र होने के बावजूद सिस्टम द्वारा तैयार की गई प्राथमिकता सूची में शामिल न किए गए परिवारों की सूची।

3.9 ग्राम सभा द्वारा उपलब्ध कराए जाने के बाद खण्ड विकास अधिकारी/सक्षम प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगें कि इन सूचियों का कम से कम 7 दिनों की अवधि में ग्राम पंचायत में व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाए। इसके अतिरिक्त यह सुनिश्चित करना भी उनका दायित्व होगा कि विधिवत प्रक्रिया के पूर्ण होने के पश्चात् ग्राम सभा द्वारा सत्यापित सूची को आवाससॉफ्ट पर दर्ज किया जाए।

3.10 सात दिनों तक इन सूचियों का उपयुक्त प्रचार किए जाने के बाद विधिवत प्रक्रिया का अनुपालन किए बिना प्राथमिकता सूची से गलती से हटाए जाने या वरीयता क्रम में बदलाव किए जाने से संबंधित शिकायतें प्रस्तुत किए जाने के लिए और 15 दिनों का समय दिया जाएगा। इन शिकायतों को कोई ग्राम स्तरीय कर्मचारी एकत्र करेगा और उसके बाद ये शिकायतें आगे कार्रवाई हेतु सक्षम प्राधिकारी को भेजी जाएंगी या पीड़ित पक्ष सीधे सक्षम प्राधिकारी को अपनी शिकायत प्रस्तुत कर सकते हैं। सक्षम प्राधिकारी इन शिकायतों की जांच करके रिपोर्ट तैयार करेगा और प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित कराएगा।

3.11 मामलों को निपटाए जाने के पश्चात् प्रत्येक परिवार को एक विशिष्ट वरीयता देते हुए प्रत्येक श्रेणी की ग्राम पंचायत–वार अंतिम स्थायी प्रतीक्षा सूची प्रकाशित की जाएगी तथा यह ग्राम

पंचायत के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाएगी और इसका व्यापक प्रचार किया जाएगा। यह स्थायी प्रतीक्षा सूची पीएमएवाई–जी की वेबसाइट पर भी अपलोड की जाएगी।

4. आवास का निर्माण

4.1 **पक्का मकानः** पक्का मकान से आशय ऐसे मकान से है, जो उचित रख–रखाव के किए जाने पर मौसमी परिस्थितियों सहित प्राकृतिक आपदाओं और इस्तेमाल की वजह से होने वाली छोटी–मोटी टूट–फूट को झेल सके और कम से कम 30 वर्षों तक चल सके।

4.2 मकान को लागत की सहायता के अलावा महात्मा गांधी नरेगा योजना (मनरेगा) के तहत मकान निर्माण के दौरान 90 श्रम दिवसों की अकुशल मजदूरी का प्रावधान किया गया है। इसे लाभार्थी स्वयं पा सकता है। मनरेगा योजना के तहत अपना 100 दिन का काम पूरा कर चुके लाभार्थी के मामले में अथवा लाभार्थी वृद्ध/विकलांग हो और किसी कारणवश वह कार्य करने में अक्षम हो, तो यह कार्य मनरेगा योजना के तहत काम मांगने वाले अन्य श्रमिक से कराया जा सकता है।

4.3 पी.एम.ए.वाई.–जी के तहत स्वीकृत किए गए मकान शौचालय के निर्माण के लिए स्वच्छ भारत मिशन (जी) से रु0 12,000/– की सहायता राशि पाने के लिए भी पात्र हैं।

4.4 स्वच्छ रसोई सहित मकान का न्यूनतम क्षेत्रफल 25 वर्ग मीटर होना चाहिए।

4.5 भूमिहीन लाभार्थी के मामले में लाभार्थी को सरकारी भूमि अथवा सार्वजनिक भूमि सहित किसी अन्य प्रकार की भूमि से जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। चयनित की गई भूमि के लिए सड़क संपर्कता और पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।

5. लाभार्थियों को स्वीकृत पत्र जारी करना

5.1 आवंटित किए गए लक्ष्य के अनुसार लाभार्थियों की स्थायी प्रतीक्षा सूची पर आधारित वार्षिक चयन सूची को एमआईएस–आवास सॉफ्ट पर पंजीकृत किया जाएगा। पंजीकरण के दौरान, बैंक खाते के विवरण, नामिती व्यक्ति के नाम, मनरेगा योजना जॉब कार्ड नंबर को अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा, यदि उपलब्ध हो सके तो आवास सॉफ्ट पर लाभार्थी का मोबाइल नंबर तथा सहमति प्राप्ति उपरान्त आधार कार्ड नंबर को भी दर्ज किया जाएगा। लाभार्थियों के लिए चिंहित किए गए क्षेत्रीय कर्मचारी और उपयुक्त प्रशिक्षित राजमिस्त्री के ब्यौरे भी आवाससॉफ्ट पर डाले जाएंगें।

5.2 लाभार्थी के ब्यौरे के पंजीकरण और उसके बैंक खाते के ब्यौरे दर्ज किए जाने के बाद विशिष्ट पी.एम.ए.वाई.–जी आईडी और क्विक रिस्पान्स (क्यू.आर.) कोड के साथ प्रत्येक लाभार्थी के लिए आवाससॉफ्ट पर अलग से स्वीकृति आदेश जारी किया जाएगा। आवास का आवंटन विधवा/अविवाहित/अकेले रह रहे व्यक्ति के मामलों को छोड़कर संयुक्त रूप से पति और पत्नी के नाम किया जाएगा। आवास का आवंटन केवल महिला के नाम पर भी किया जा सकता है। विकलांग व्यक्तियों के कोटे के तहत चयनित किए गए लाभार्थीयों के मामले में, आवंटन केवल उसी व्यक्ति के नाम किया जाना चाहिए। आवास की स्वीकृति दिए जाने की जानकारी लाभार्थी को मोबाइल नंबर उपलब्ध कराने हेतु एस.एम.एस. के माध्यम से भी दी जाएगी। लाभार्थी या तो ब्लॉक कार्यालय से स्वीकृति आदेश प्राप्त कर सकता है, अथवा उस आदेश को अपनी पी.एम.ए.वाई.–जी आईडी का उपयोग करते हुए पी.एम.ए.वाई.–जी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकता है।

6 लाभार्थी को पहली किश्त की रिलीज

6.1 लाभार्थी को पहली किश्त स्वीकृति आदेश जारी होने की तारीख से एक हफ्ते (7 कार्य दिवस) के अंदर उसके (लाभार्थी) के पंजीकृत किए गए बैंक खाते में इलैक्ट्रॉनिक रूप से भुगतान की जाएगी।

7 निर्माण का तरीका

7.1 पी.एम.ए.वाई.–जी के तहत आवास का निर्माण स्वयं लाभार्थी द्वारा किया जाएगा या वह अपनी देखरेख में आवास का निर्माण कराएगा/कराएगी। मकानों के निर्माण में कोई ठेकेदार शामिल नहीं होगा और न ही मकानों का निर्माण किसी सरकारी विभाग/एजेंसी द्वारा कराया जाएगा।

7.2 लाभार्थी के वृद्ध अथवा अक्षम अथवा दिव्यांग होने के मामले में यदि वह स्वयं आवास निर्माण करने की स्थिति में नहीं है तो इस प्रकार के आवास का निर्माण राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान किया जा सकता है।

7.3 निर्माण कार्य में विलंब होने से आवास निर्माण पूरा करने में समस्याएं बढ़ जाती हैं। अतः आवास निर्माण स्वीकृति की तारीख से 12 महीने में पूरा कर लिया जाना चाहिए।

8. तालमेल (कन्वर्जेन्स)

8.1 शौचालय का निर्माण पी.एम.ए.वाई.–जी के अनिवार्य भाग के रूप में किया जाना है। स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण (एस.बी.एम.–जी), मनरेगा से शौचालयों का निमार्ण किया जाएगा। आवास का निर्माण केवल तभी पूरा माना जाएगा, जब उसमें शौचालय का निर्माण किया गया हो।

8.2 तालमेल के तहत आवास के निर्माण के लिए अकुशल मजदूरी के रूप में 90 श्रम दिवसों कीमजदूरी पी.एम.ए.वाई.–जी के लाभार्थी को मजदूरी के रूप में दिया जाएगा।

8.3 आधारभूत सुविधाओं में से एक पेयजल हेतु पी.एम.ए.वाई.–जी के लाभार्थियों को राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन.आर.डी.डबल्यू.पी.) से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

8.4 दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डी.डी.यू.जी.जे.वाई.) के लाभार्थी को बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। पीएमवाई–जी लाभार्थी को सोलर लालटेन, सोलर होम लाइटिंग सिस्टम्स, सोलर सट्रीट–लाइटिंग सिस्टम आदि योजनाओं से लाभान्वित किया जा सकता है।

8.5 पी.एम.ए.वाई.–जी के लाभार्थियों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत एल0पी0जी0 कनेक्शन प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराया जाएगा।

9. शिकायत का निस्तारण

9.1 ग्राम पंचायत, विकास खण्ड और जिले स्तर पर पी.एम.ए.वाई.–जी के अन्तर्गत प्राप्त शिकायतों के त्वरित निस्तारण किए जाने की व्यवस्था की गयी है।

9.2 प्रत्येक स्तर पर विनिर्दिष्ट अधिकारी की यह जिम्मेदारी होगी कि वह शिकायत प्राप्त होने की तारीख से 15 दिनों की अवधि में शिकायत का गुणवत्तापूर्ण ढंग से निस्तारण करें।

9.3 शिकायत के निस्तारण के लिए प्रत्येक स्तर पर पदनामित अधिकारी के (नाम, टेलीफोन नंबर और पते सहित) उन अधिकारियों की जानकारी और शिकायत दायर करने की प्रक्रिया प्रत्येक पंचायत में स्पष्ट रूप से दर्शाई जानी चाहिए।

9.4 शिकायतों के निपटान के लिए प्रत्येक प्रशासनिक स्तर पर पदनामित अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह शिकायत प्राप्त होने के तारीख से एक महीने में शिकायतों को निस्तारण करके की गई कार्यवाही रिपोर्ट rgportal.gov.in पर अपलोड करें और

शिकायतकर्ता को भी इसकी जानकारी दे।

अनुबंध-1

10. बर्हिवेशन (अपात्र किए जाने) प्रक्रिया

चरण–1: पक्के मकानों मे रहने वालों को बर्हिवेशन–पक्की छत /या पक्की दीवारों वाले मकानों में रहने वाले सभी परिवार और दो से अधिक कमरों के मकान में रहने वाले परिवारों को इस प्रक्रिया में बाहर कर दिया जाएगा।

चरण–2: स्वतः बर्हिवेशन–अन्य प्रकार के शेष परिवारों में से नीचे सूची में दिए गए 13 मानकों (पैरामीटरों) में से किसी एक को भी पूरा करने वाला परिवार स्वतः ही बाहर हो जाएगा।

1. मोटरयुक्त दोपहिया/तिपहिया/चौपहिया वाहन/मछली पकड़ने की नाव।
2. मशीनी तिपहिया/चौपहिया कृषि उपकरण।
3. रु0 50,000 अथवा इससे अधिक ऋण सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्ड धारक।
4. वे परिवार, जिनका कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो।
5. सरकार के पास पंजीकृत गैर–कृषि उद्यम वाले परिवार।
6. वे परिवार, जिनका कोई सदस्य रु0 10,000 से अधिक प्रति माह कमा रहा हो।
7. आयकर देने वाले परिवार।
8. व्यवसाय कर देने वाले परिवार।
9. वे परिवार, जिनके पास रेफ्रिजरेटर हो।
10. वे परिवार, जिनके पास लैंड लाइन फोन हो।
11. वे परिवार जिनके पास 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि हो और कम से कम एक सिंचाई उपकरण हो।
12. दो या इससे अधिक फसल वाले मैसम के लिए 5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि।
13. वे परिवार जिनके पास 7.5 एकड़ या इससे अधिक भूमि हो और कम से कम एक सिंचाई का उपकरण हो।

11. स्वतः अंतर्वेशन(पात्रता) के लिए मानदंड

1. आश्रयविहीन परिवार।
2. बेसहारा/भीख मांग कर जीवनयापन करने वाले।
3. हाथ से मैला ढोने वाले।
4. आदिम जनजातीय समूह।
5. वैधानिक रूप से मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूर।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

1. 19 खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सोशल आडिट हेतु निम्न बिन्दुओं पर सूचना उपलब्ध कराई जाएगी:–

प्रपत्र–सो.आ.–प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

ग्राम पंचायत का नाम :–

क्र0	बिन्दु	सूचना
1.	ग्राम पंचायत में कुल परिवारों की संख्या	
2.	SECC-2011 में शामिल परिवारों की संख्या	
2.1	स्थाई पात्रता सूची में शामिल परिवारों की संख्या	
2.2	स्थाई पात्रता सूची में अनुसूचित जाति/जनजाति परिवारों की संख्या	
2.3	स्थाई पात्रता सूची में सामान्य परिवारों की संख्या	
2.4	स्थाई प्रतीक्षा सूची में शामिल परिवारों सूची	सूची संलग्न है
3.	वित्तीय वर्ष 2016–17 के चयनित लाभार्थियों की सूची	सूची संलग्न है
4.	वित्तीय वर्ष 2016–17 में कितने आवासों हेतु धनराशि उपलब्ध कराई गई है?	
5.	वित्तीय वर्ष 2016–17 में जिन आवासों हेतु धनराशि उपलब्ध कराई गई है, उनमें से पूर्ण आवासों की संख्या	
5.1	वित्तीय वर्ष 2016–17 के अपूर्ण आवासों की संख्या	
5.2	आवास अपूर्ण होने का कारण	
5.3	लाभार्थीवार अवमुक्त की गई धनराशि का विवरण	संलग्न है
6.	प्रत्येक लाभार्थी को आवंटित धनराशि की पुष्टि हेतु बैंक स्टेटमेन्ट की प्रति	संलग्न है
7.	ऐसे लाभार्थी परिवारों की संख्या जिन्हें अब तक धनराशि उपलब्ध नहीं कराई गई?	
8.	धनराशि उपलब्ध न होने का कारण?	

हस्ताक्षर
खण्ड विकास अधिकारी/
सहायक विकास अधिकारी (सांख्यिकी)

अध्याय–2
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)
सोशल आडिट : परीक्षण के बिन्दु/ड्राफ्ट प्रतिवेदन
(सोशल आडिट टीम हेतु)

ग्राम पंचायत :..... विकास खण्ड :.....

जनपद :..... राज्य – उत्तर प्रदेश

वर्ष : (जिस वर्ष के कार्यों का सोशल आडिट किया जा रहा है) : 2016– 2017

2.1 सामान्य सूचनाः

खण्ड विकास अधिकारी द्वारा दी गई सूचना के आधार पर भरा जाएगा।

क्र0	बिन्दु	सूचना
1.	ग्राम पंचायत में कुल परिवारों की संख्या	
2.	SECC-2011 में शामिल परिवारों की संख्या	
2.1	स्थाई पात्रता सूची में शामिल परिवारों की संख्या	
2.2	स्थाई पात्रता सूची में अनुसूचित जाति/जनजाति परिवारों की संख्या	
2.3	स्थाई पात्रता सूची में सामान्य परिवारों की संख्या	
2.4	स्थाई पात्रता सूची में शामिल परिवारों सूची	सूची संलग्न है
3.	वित्तीय वर्ष 2016–17 के चयनित लाभार्थियों की सूची	सूची संलग्न है
4.	वित्तीय वर्ष 2016–17 में कितने आवासों हेतु धनराशि उपलब्ध कराई गई है?	
5.	वित्तीय वर्ष 2016–17 में जिन आवासों हेतु धनराशि उपलब्ध कराई गई है, उनमें से पूर्ण आवासों की संख्या	
5.1	वित्तीय वर्ष 2016–17 के अपूर्ण आवासों की संख्या	
5.2	आवास अपूर्ण होने का कारण	
5.3	लाभार्थीवार अवमुक्त की गई धनराशि का विवरण	संलग्न है
6.	प्रत्येक लाभार्थी को आवंटित धनराशि की पुष्टि हेतु बैंक स्टेटमेन्ट की प्रति	संलग्न है
7.	ऐसे लाभार्थी परिवारों की संख्या जिन्हें अब तक धनराशि उपलब्ध नहीं कराई गई?	
8.	धनराशि उपलब्ध न होने का कारण?	

2.2 सोशल आडिट टीम द्वारा परीक्षणीय बिन्दुः–

लाभार्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जाति/ श्रेणी यथा– अनुसूचित जाति/ जनजाति/ अल्पसंख्यक/अन्य	SECC-2011 का नम्बर	स्थाई प्रतीक्षा सूची क्रमांक	क्या वरीयता क्रम का उल्लंघन किया गया है, यदि हॉ तो कारण
1	2	3	4	5	6

टीम के सदस्यों के हस्ताक्षर :

1..... 2..... 3.....

4..... 5.....

परिवार अर्ह है अथवा नहीं, यदि नहीं तो कारण	आवास की स्थिति		आवास अपूर्ण होने का कारण	आवास की गुणवत्ता कैसी है– असंतोषजनक या सामान्य या उत्कृष्ट	पट्टे की भूमि पर यदि आवास निर्मित है, तो क्या स्थल उपयुक्त है?	क्या आवास प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा अनियमित रूप से कोई धनराशि की मांग या धनराशि लिए जाने की शिकायत है?	निर्मित आवास में स्वयं / परिवार निवास कर रहा है अथवा नहीं
	पूर्ण	अपूर्ण					
7	8		9	10	11	12	13

टीम के सदस्यों के हस्ताक्षर :

1..... 2..... 3.....

4..... 5.....

क्या दूसरी/तीसरी किश्त प्राप्त करने में कोई कठिनाई हुई? यदि हाँ, तो विवरण	क्या लाभार्थी ने आवास निर्माण हेतु डीआरआई ऋण सहित कोई बैंक ऋण लिया है?	लाभार्थी द्वारा लिया गया अन्य ऋण	प्रदत्त सहयोग सेवाएँ	शौचालय हेतु धनराशि प्राप्त करने का माध्यम		शौचालय निर्मित है या नहीं? यदि नहीं तो विवरण।	शौचालय उपयोग में है अथवा नहीं?
				बैंक खाता	सामग्री के रूप में		
14	15	16	17	18		19	20

टीम के सदस्यों के हस्ताक्षर :

1..... 2..... 3.....

4..... 5.....

आवास में नाम पट्टिका है अथवा नहीं?	क्या लाभार्थी को किसी योजना से विद्युत कनेक्शन दिया गया है?	क्या आवास के आसपास मानकों के अनुसार पेयजल सुविधा उपलब्ध है?	क्या लाभार्थी को मनरेगा से अनुमन्य व्यक्तिगत लाभार्थ परियोजनाओं से लाभान्वित किया गया है?	कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र की स्थिति (प्रस्तुत कर दी गई है या अभी प्रस्तुत की जानी है)	क्या कोई शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हॉ, तो क्या शिकायत का सही और समय से निराकरण हुआ है?	लाभार्थी के हस्ताक्षर
21	22	23	24	25	26	27

सोशल आडिट के दौरान सक्रिय रूप से प्रतिभाग करने वाले व्यक्तियों के नाम

नामों में प्राथमिकता–

1. श्रमिक महिला (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडी जाति/सामान्य)
2. अन्य महिला (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडी जाति/सामान्य)
3. श्रमिक पुरूष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडी जाति/सामान्य)
4. अन्य पुरूष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडी जाति/सामान्य)

क्र0 सं0	नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल न0
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

टीम के सदस्यों के हस्ताक्षर :

1..... 2..... 3.....

4..... 5.....

अध्याय–3

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के सोशल आडिट ग्राम सभा की बैठक के कार्यवृत्त का नमूना

आज दिनाँक..... को सोशल आडिट ग्राम सभा की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता श्री/सुश्री.....ने की। बैठक में सोशल आडिट टीम द्वारा तैयार ड्राफ्ट प्रतिवेदन में उल्लिखित तथ्यात्मक बिन्दुओं/इंगित अनियमितताओं पर चर्चा एवं सम्यक विचार–विमर्श हुआ। सोशल आडिट ग्राम सभा की बैठक में विचार–विमर्श के उपरान्त विभिन्न प्रकरणों में मत स्थिर किया गया। बैठक में जिन मामलों को सुलझाया जा सकता था उनका निस्तारण किया गया और शेष अनियमितताओं के प्रकरणों में संस्तुति की गई।

सोशल आडिट ग्राम सभा की बैठक में हुई चर्चा/विचार–विमर्श के पश्चात् विभिन्न विषयों पर निष्कर्ष निम्नवत् उल्लिखित है:–

1. परिवारों के चयन में वरीयताक्रम का उल्लंघन –

सोशल आडिट टीम ने अपने ड्राफ्ट प्रतिवेदन में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) हेतु परिवारों के चयन में निम्नांकित परिवारों, जिनका नाम SECC-2011/स्थाई प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित नहीं है, को भी आवास दिए जाने का उल्लेख किया है:–

1. .....
2. .....
3. .....

ग्राम सभा की बैठक में उक्त नामों पर विचार–विमर्श किया गया और उपस्थित सदस्यों/जिम्मेदार कर्मचारियों को अपनी बात रखने का अवसर दिया जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है:–

1. श्री/श्रीमती.....ने अवगत कराया कि.....
   .....
2. श्री/श्रीमती.....ने बताया कि .....
   .....
3. जिम्मेदार कर्मचारी श्री/श्रीमती..... ने स्थिति स्पष्ट की कि.....
   .....

विचारोपरान्त उक्त बिन्दुओं पर सोशल आडिट ग्राम सभा ने निम्नांकित मत स्थिर किया तथा संस्तुतियाँ की:–

1. .....
2. .....
3. .....

2. लाभार्थी के अर्हता की स्थिति–

3. आवास का निर्माण पूर्ण न होना –

4. आवास की गुणवत्ता की स्थिति –

5. आवास निर्माण यदि पट्टे की भूमि पर हुआ है तो स्थल के उपयोगिता की स्थिति –

6. आवास की स्वीकृति हेतु किसी व्यक्ति द्वारा धन की उगाही या अवैध वसूली करने का प्रकरण–

7. आवास में निवास की स्थिति–

8. आवास की दूसरी/तीसरी किश्त प्राप्त करने में लाभार्थी को हुई कठिनाई–

9. डी.आर.आई. ऋण प्राप्त करने में आई कठिनाई –

10. अन्य ऋण प्राप्त करने में आई कठिनाई –

11. आवास हेतु सहयोग सेवाएं मिलने की स्थिति –

12. शौचालय की धनराशि चेक द्वारा या सामग्री के रूप में प्राप्त होने की स्थिति–

13. शौचालय के निर्मित होने की स्थिति–

14. शौचालय के पूर्ण होने, परन्तु उपयोग में न होने की स्थिति–

15. आवास में लाभार्थी के नाम पट्टिका की स्थिति–

16. आवास में विद्युतीकरण की स्थिति–

17. आवास के आस–पास मानक के अनुसार पेयजल सुविधा की स्थिति–

18. आवास के लाभार्थी को मनरेगा से अनुमन्य व्यक्तिगत लाभार्थ परियोजनाओं से लाभान्वित होने की स्थिति–

19. आवास पूर्ण होने पर भी कार्य पूर्ति प्रमाण–पत्र जारी न किया जाना –

20. आवास अपूर्ण होने पर भी कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र जारी किया जाना –

21. क्या आवास के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है, यदि प्राप्त है, तो उसके निस्तारण की स्थिति –

नोटः– बिन्दु 1 पर कार्यवाही लिखे जाने का तरीका नमूने के रूप में दर्शाया गया है। उसी प्रकार अन्य सभी बिन्दुओं पर कार्यवाही लिखी जानी है।

हस्ताक्षर

ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटर

हस्ताक्षर

अध्यक्ष,
सोशल आडिट ग्राम सभा

अन्य सदस्य जो सोशल आडिट ग्राम सभा में उपस्थित रहे

1. ..... 2. .....

3. ..... 4. .....

5. ..... 6. .....

संख्या **दिनाँक**

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. जिलाधिकारी .....।
2. खण्ड विकास अधिकारी.....।
3. ग्राम प्रधान/सचिव ग्राम पंचायत.....।

ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटर

ब्लाक :.....

जनपद :.....

अध्याय–4

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)
सोशल आडिट का निष्कर्ष एवं संस्तुतियां

(ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटर हेतु)

ग्राम पंचायत :.....विकास खण्डः.....

जनपद :.....राज्य – उत्तर प्रदेश

सोशल ऑडिट ग्राम सभा बैठक की तिथि :.....

वर्ष (जिस वर्ष का सो0आ0 किया गया है) :.....

4.1 सामान्य सूचना

क्र.सं.	बिन्दु	सूचना
1.	ग्राम पंचायत में कुल परिवारों की संख्या	
2.	ग्राम पंचायत में SECC-2011 में परिवारों की संख्या	
3.	स्थाई पात्रता सूची में शामिल परिवारों की संख्या	
4.	जिस वित्तीय वर्ष का सोशल आडिट किया जा रहा है उस वर्ष प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का लक्ष्य	
5.	स्थाई पात्रता सूची से लिए गए परिवारों की संख्या	
5.1	ऐसे परिवारों की संख्या जो किसी भी सूची में नहीं हैं	
5.2	स्थाई पात्रता सूची से वरीयताक्रम का उल्लंघन कर आवास दिए गए परिवारों की संख्या	
5.3	यदि वरीयता क्रम का उल्लंघन हुआ है, तो उसका कारण	
5.4	जिलाधिकारी द्वारा नामित पर्यवेक्षक का नाम	
6.	सोशल आडिट टीम के सदस्यों का नाम– 1. 2. 3. 4. 5.	

(BSAC/BRP का नाम एवं हस्ताक्षर)

4.2. सोशल आडिट ग्राम सभा बैठक के दौरान लिए गए निर्णय/संस्तुत कार्यवाही

क्र.सं	प्रकरण	मामलों की सं0	उत्तरदाई व्यक्ति, यदि कोई हो	सो0आ0 ग्राम सभा बैठक में संस्तुति
1	वरीयता क्रम का उल्लंघन होना			
2	प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) आवंटित परिवार का अनर्ह होना			
3	आवास का निर्माण पूर्ण न होना			
4	आवास की गुणवत्ता असंतोषजनक होना			
5	आवास हेतु पट्टे की भूमि का उपयुक्त न होना			
6	आवास आवंटन में अनियमित रूप से धनराशि की मांग करना			
7	निर्मित आवास में लाभार्थी का स्वयं निवास न करना			
8	दूसरी/तीसरी किश्त प्राप्त करने में लाभार्थी को कठिनाई होना			
9	डी0आर0आई0 ऋण प्राप्त करने में कठिनाई होना			
10	अन्य ऋण प्राप्त करने में कठिनाई का होना			
11	आवास हेतु सहयोग सेवाएं न मिलना			
12	शौचालय निर्माण में धनराशि के स्थान पर सामग्री प्राप्त कराया जाना			
13	आवास में शौचालय का निर्मित न होना			
14	आवास में शौचालय पूर्ण है परन्तु उपयोग में न होना			
15	आवास में नाम पट्टिका न होना			
16	आवास के लाभार्थी को विद्युतीकरण का लाभ न मिलना			
17	आवास के आस–पास मानकों के अनुसार पेयजल सुविधा उपलब्ध न होना			
18	अर्ह लाभार्थी को मनरेगा से अनुमन्य व्यक्तिगत लाभार्थ परियोजनाओं का लाभ न मिलना			
19	लाभार्थी को मनरेगा से अकुशल श्रमिक के रूप में 90 दिन के रोजगार की उपलब्धता न होना			
20	आवास पूर्ण होने पर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र जारी न किया जाना			
21	आवास अपूर्ण होने पर भी कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाना			
22	शिकायत का ठीक ढंग और समय से निराकरण न होना			

(BSAC / BRP का नाम एवं हस्ताक्षर)

ग्राम सभा की खुली बैठक

सोशल आडिट हेतु जागरूक्ता अभियान

प्रधानमंत्री आवास का बी.आर.पी.
के साथ प्रशिक्षण के दौरान स्थलीय निरीक्षण

श्रमिको से वार्ता

दस्तावेजों का मिलान

बी.आर.पी. को सोशल आडिट ग्राम सभा
बैठक का प्रशिक्षण

सोशल आडिट निदेशालय, उ0प्र0

7वां तल, पी0सी0एफ0 भवन, 32 स्टेशन रोड, लखनऊ– 226001

Phone:- 0522-2630877,2630878, Fax:-0522-4003787

E-mail: socialauditup@yahoo.in Website: www.socialauditup.in

एवं

दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, उ0प्र0

जनसहभागिता, पारदर्शिता एवं जवाबदेही केन्द्र

इन्दौराबाग, बख्शी का तालाब, लखनऊ – 226202

के द्वारा प्रकाशित एवं प्रसारित